महत्वपूर्ण

संख्या— 28 / 68—5—2020

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष,
जिला शिक्षा परियोजना समिति,
जनपद— बिजनौर मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, अमरोहा, हापुड़, बुलन्दशहर, सम्भल, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बदायूं, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर,, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, गाजीपुर एवं बलिया।

बेसिक शिक्षा अनुभाग—5 लखनऊः दिनांकः 16 जनवरी, 2020

विषयः गंगा यात्रा के आयोजन अन्तर्गत विद्यालय स्तर पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कराये जाने के संबंध में।

महोदय / महोदया,

नदियों के किनारे सभ्यताओं का विकास होता रहा है। नदियॉ न केवल हमारी प्रेरणा स्रोत होती हैं वरन मनुष्यों के लिए पवित्र एवं जीवनदायिनी हैं। गंगा से हमें कृषि के लिए सिंचाई, पीने के लिए पानी एवं पूरे भारतवर्ष के लिए विभिन्न मेलों के माध्यम से एकीकरण का माध्यम रही हैं।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए गंगा जी को स्वच्छ, निर्मल, प्रेरणादायक बनाने एवं उन्हें अपने मूल स्वरूप में लाने की दृष्टि से जनजागरूकता के लिए विभिन्न विभागों द्वारा अपनी योजना लागू किये जाने के उद्देश्य से विशाल गंगा यात्रा का आयोजन दिनांक 27—31 जनवरी, 2020 तक किया जा रहा है। गंगा यात्रा के आयोजन में गंगा के किनारे स्थित ग्राम पंचायतों के परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र—छात्राओं को गंगा की निर्मलता, अविरलता, पर्यावरण के संरक्षण तथा जल संरक्षण के संबंध में व्यापक रूप से जनमानस को जागरूक किये जाने की आवश्यकता है।

1— पंचायतीराज विभाग के शासनादेश दिनांक 30.10.2019 के अनुक्रम में **''ऑपरेशन कायाकल्प''** के अन्तर्गत गंगा ग्रामों के विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के 07 मानक यथा—ब्लैकबोर्ड, बालक—बालिकाओं के पृथक—पृथक शौचालय, स्वच्छ पेयजल एवं मल्टीपल हैण्डवाशिंग प्रणाली, फर्श की मरम्मत / टाइल्स लगवाना, विद्युतीकरण, किचेनशेड का जीर्णोद्धार, विद्यालय प्रांगण में इण्टरलाकिंग टाइल्स का कार्य गंगा यात्रा के प्रारम्भ होने के पूर्व पूर्ण कराया जाये।

2— गंगा की निर्मलता एवं अवरिलता हेतु पाठ्यक्रम में उचित विषयवस्तु जोड़ी जायेगी। इसी प्रकार जल संरक्षण, जल विभाजन प्रबंधन (Water shed managment) तथा नदियों को प्रदूषण से मुक्त कर कायाकल्प हेतु क्या उपाय किये जायें? इस पर गोष्ठी की जाये। नदी का पारिस्थितिकी तंत्र (River Ecosystem) एवं पारस्परिक निर्भरता से सम्बन्धित प्रचार—प्रसार किया जाये।

3— इन ग्रामों में विद्यालय स्तर पर **''स्वच्छ बाल गंगा समिति''** गठित की जाये जिसमें प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर कक्षा 4 एवं 5 के 10 छात्र—छात्राएं एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के 12 छात्र—छात्राओं को सम्मिलित किया जाये। यह समिति स्थाई होगी तथा वर्ष पर्यन्त कार्य करेगी। इस समिति के बच्चे **''परिवर्तन के उत्प्रेरक''** होंगे। इस संस्था के अतिरिक्त भी छात्र—छात्रायें अपनी इच्छानुसार समिति के सदस्य बन सकते हैं।

——2

समिति के दायित्व –

- ग्राम पंचायत में घर–घर जाकर गंगा को स्वच्छ एवं निर्मल रखने के संबंध में शपथ ग्रहण करायेंगे। (शपथ संलग्न)
- पॉलीथिन के प्रयोग की रोक–थाम के प्रचार–प्रसार करेंगे।
- गंगा के तट पर प्रातः एवं सायंकाल शौच के लिए जाने वाले स्थानीय नागरिकों को जागरूक करेंगे।
- कूड़ा प्रबंधन एवं अपशिष्ट प्रबंधन के लिए लोगों को जागरूक करेंगे।
- विद्यालय में निर्मित शौचालयों को स्वच्छ रखने हेतु ग्राम प्रधान से सम्पर्क करेंगे।
- गंगा के तट पर पेड़ लगाने जाने हेतु जनमानस को प्रेरित करेंगे।

4– गंगा यात्रा के दौरान विद्यालय स्तर पर निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन निर्धारित तिथियों में कराया जाये :–

क्र0सं0	दिनांक	गतिविधियां	आयोजन
1	20–25 जनवरी, 2020	रैली	''स्कूल चलो अभियान'' की भांति गंगा की निर्मलता एवं अविरलता के लिये जन जागरुकता हेतु रैली का आयोजन।
2	26 जनवरी, 2020	प्रभात फेरी	''गणतंत्र दिवस'' के अवसर पर विद्यालय में प्रातः 8 बजे से शिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा स्लोगन सहित प्रभात फेरी, विद्यालय से ग्राम तक भ्रमण।
3	27 जनवरी, 2020	निबंध प्रतियोगिता	विद्यालय स्तर पर जल संरक्षण एव गंगा निर्मलता विषय पर निबन्ध प्रतियोगिता जिसमें कक्षा 6–8 के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।
4	28 जनवरी, 2020	चित्रकला एवं वाद– विवाद प्रतियोगिता	विद्यालय स्तर पर चित्रकला प्रतियोगिताः कक्षा 4 से 8 के विद्यार्थियो द्वारा प्रतिभाग किया जाना।
5	29 जनवरी, 2020	क्विज प्रतियोगिता तथा व्याख्यान	विद्यालय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण, पालीथीन मुक्त वातावरण सम्बन्धी जागरूकता अभियान पर क्विज प्रतियोगिता तथा शिक्षकों/गणमान्य नागरिकों/शिक्षाविदों का व्याख्यान।
6	30 जनवरी, 2020	आलेख–लेखन	विद्यार्थियों द्वारा जल– संरक्षण पर आलेख–लेखन व समुदाय के व्यक्तियों को आलेख सौंपा जाना।
7	31 जनवरी, 2020	सांस्कृतिक कार्यक्रम	विद्यालय प्रबन्ध समिति तथा अभिभावकों की उपस्थिति में विजयी छात्रों को पुरस्कृत किया जायेगा।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश :–

I. जनपद में गंगा के किनारे के ग्राम पंचायतों के विद्यालयों में स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत शौचालय एवं विद्यालय के प्रांगण की साफ–सफाई तथा पेड़–पौधों के संरक्षरण हेतु अभियान चलाया जाये।

II. गंगा यात्रा विद्यालयों में जहां–जहां रूकेगी वहां प्रतिभागियों के ठहरने की व्यवस्था करायी जाये।

——3

III. विद्यालय स्तर पर आयोजित करायी गयी उपरोक्त प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को यथा सम्भव प्रभारी मंत्री एवं मा0 जनप्रतिनिधियों माध्यम से पुरस्कार वितरण कराया जाये।

IV. गंगा किनारे के विद्यालयों में मध्यान्ह् भोजन प्राधिकरण के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश अनुसार विकसित किये किचेन गार्डेन को **''गंगा किचन गार्डेन''** के रूप नामित कि जाय तथा विद्यालयों में मनरेगा अथवा ग्राम पंचायत डेवलपमेन्ट प्लान के अन्तर्गत व कम्पोस्ट पिट बनाया जाये।

V. विद्यालय के छात्र–छात्राओं को जीव–जन्तुओं की पारस्परिक निर्भरता के संबंध जानकारी दी जाये।

5— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेष हुआ है कि कृपया उपर्युक्त आदेशों अनुपालन सुनिश्चित करें। उपर्युक्त कार्यक्रमों के आयोजन में यदि किसी विद्यालय को धनरा की आवश्यकता है तो मदवार विवरण राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदे लखनऊ को प्रेषित किया जाये एवं उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवा की आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से शासन/महानिदेशक, स्कूली शिक्ष उ0प्र0, लखनऊ को फोटोग्राफ सहित **दिनांक 05 फरवरी, 2020** तक प्रेषित कराने का क करें।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संलग्नक :: उक्तंवत्।

पृ0सं0 व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
2. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. मुख्य विकास अधिकारी, सम्बन्धित जनपद, उत्तर प्रदेश।
5. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) सम्बन्धित मण्डल, उत्तर प्रदेश।
6. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद– बिजनौर मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ, अमरोह हापुड़, बुलन्दशहर, सम्भल, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बदायूं, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज कानपुर नगर,, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपु रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, गाजीपुर एवं बलिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित वि उपर्युक्त गतिविधियों का सफल आयोजन कराना सुनिश्चित करें।
7. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित जनपद, उत्तर प्रदेश।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी) 16.1.2020
उप सचिव।

शपथ

"स्वच्छ गंगा बाल समिति द्वारा सभी ग्राम वासियों एवं जनमानस को दिलवाये जाने वाला संकल्प"

गंगा को अविरल–निर्मल रखने के लिए मेरा स्वच्छता संकल्प

मैं संकल्प लेता/लेती हूँ कि मैं गंगा को प्रदूषित करने वाले कृत्यों से बचूँगा/बचूँगी तथा दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करूँगा/करूँगी।

गंगा को अविरल–निर्मल रखने के लिए .... पौधे लगाकर उसके बड़े होने तक उनकी देखभाल तथा रक्षा करूँगा/करूँगी और वृक्ष लगाने के लिए ....पौधे दान करूँगा/करूँगी।

गंगा के तट को स्वच्छ रखने के लिए कूड़ा नहीं फेकूंगा/फेकूंगी।

नाम : ....

विद्यालय का नाम : ....

कक्षा : ....

ग्राम : ....

विकास खण्ड का नाम : ....

जनपद : ....

Raj-Letter-1505.doc